न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00426

1. भूरा (मृतक) कायममुकामान :–
   1/1. रामप्रसाद पुत्र
   1/2. महावीर पुत्र
   1/3. रामलाल पुत्र
   1/4. कंवरी बाई पत्नी निवासीगण ग्राम कुम्हारिया तहसील नैनवा बून्दी ।
2. माधो आत्मज गंगालिया जाति कीर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) ।
3. छोट्या आत्मज गंगालिया जाति कीर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. छोटू आत्मज गोपी जाति कीर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कमला बाई आत्मज छोटूलाल जाति कीर निवीस ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. बदाम बाई आत्मज छोटूलाल जाति कीर निवीस ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. कांता बाई आत्मज छोटूलाल जाति कीर निवीस ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/4. सियाराम आत्मज छोटूलाल जाति कीर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/5. फोरी बाई आत्मज छोटूलाल जाति कीर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/6. मनराज आत्मज छोटूलाल जाति कीर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव)
2. रामप्रसाद आत्मज पोलू जाति कीर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा (कुम्हारिया गॉव) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भू–स्वामी जरिय तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमेश कहार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92(क) एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कुम्हारिया गॉव (लक्ष्मीपुरा) तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 02 किता की रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रतिवादीगण को रूपयों की आवश्यकता के कारण 30/– रूपये में रहन रख दिया और राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया । बाद में प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज गोपी आत्मज अमरा से रहन की राशि 30 /– रूपये तथा बेचान की अतिरिक्त राशि प्राप्त कर सम्पूर्ण आराजी का बेचान कर दिया । वादी के पूर्वज गोपी जी की मृत्यु दिनांक 04.06.1989 को हो गयी । गोपी जी के दो पुत्र पोलू जी तथा छोटू लाल जी थे । वादी के पूर्वज के पुत्र व वादी संख्या 02 के पिता की मृत्यु दिनांक 26.11.2006 को हो चुकी है । विगत 50 वर्षों से वादीगण मुताबिक बेचाननामे के आधार पर उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी उक्त भूमि के खातेदार हो चुके हैं । प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 के मन में बदयान्ति आ गई है । वादीगण जब भी उक्त भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के लिए कहते हैं तो वो रजिस्ट्री कराने से मना कर देते हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावें और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण को या तो पंजीकृत विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने द्वारा या कब्जा मुखालफाना के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे तथा उक्त भूमि का उपयोग करने इत्यादि में प्रतिवदीगण क्रम 1 लगायत 3 न तो स्वयं व्यवधान पैदा करे और न किसी अन्य से करावे इस हेतु प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 11.07.2016 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की सहमति के बिना लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्टगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना वाद वादीगण डिक्री किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट वादी कम 1 व 2 के द्वारा पेश किया गया था । प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया था । पत्रावली आदेश 06 नियम 17 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की बहस में चल रही थी । तनकीयात कायम नहीं की गई थी और इसको लोक अदालत में सरसरी तौर पर डिक्री कर दिया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 सीपीसी की बहस में लम्बित थी और इसमें दिनांक 27.09.2016 की तारीख पेशी दी गई थी और इससे पूर्व ही इसको दिनांक 11.07.2016 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से वादी कम 1/6 मनराज और वादी संख्या 02 रामप्रसाद की उपस्थिति दर्ज की गई है । शेष पक्षकारान न तो उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा उपस्थित होकर कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा